तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल पीठ
श्री सुरेन्द्र कुमार पुरोहित, सदस्य

उपस्थित–
श्री सोहनपाल सिंह, अभिभाषक अपीलांट
श्री योगेन्द्र सिंह, अभिभाषक रेस्पो0

दिनांक : 12.10.2022

निर्णय

यह द्वितीय अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा प्रकरण संख्या 21/99 में पारित निर्णय दिनांक 22–9–2004 के विरूद्ध धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पेश की गई है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में कथन किया कि ग्राम नागडी में स्थित भूमि साबिक खसरा नं. 278 रकबा 15 बीघा 18 बिस्वा, 279 रकबा 24 बीघा 6 बिस्वा, 280 रकबा 30 बीघा 18 बिस्वा कुल रकबा 71 बीघा 2 बिस्वा एवं इसके चिपते ही खसरा नं. 286 रकबा 221 बीघा 2 बिस्वा में से उत्तरी पश्चिमी की ओर का रकबा 40 बीघा कुल रकबा 111 बीघा 2 बिस्वा अपीलांटगण की पुश्तैनी कब्जा काश्त एवं खातेदारी की भूमि चली आ रही है। परन्तु भू प्रबन्ध विभाग ने भू प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान उक्त भूमि के हाल खसरा नं. 455, 456, 464, 465, 469, 677, 676 एवं 675 कायम करते हुए हाल खसरा नं. 677 में से 2 बीघा 5 बिस्वा, 469 में से 3 बीघा 18 बिस्वा, 278 में से 7 बिस्वा एवं 676 में से 2बीघा 11बिस्वा कुल रकबा 9 बीघा 1 बिस्वा जो कि अपीलांटगण की पुश्तैनी कब्जा काश्त की भूमि हैं। जिसको हाल सिवायचक ख.नं. 468 में दर्ज कर दी जिसकी जानकारी होते ही अपीलांट्स/वादीगण ने सहायक कलक्टर के न्यायालय में वाद पत्र खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत प्रतिवादी राजस्थान सरकार रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के विरूद्ध दिनांक 17–11–98 को प्रस्तुत किया जो कि अभी तक विचाराधीन है।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	इसके बावजूद अपीलांटगण की सुनवाई किए बिना जिला कलक्टर नागौर ने राज्य सरकार की अनुमति लिए बिना ही अपीलांट की पुश्तैनी कब्जा काश्त एवं खातेदारी की उक्त खसरा नं. 468 में दर्ज की गयी रकबा 9 बीघा 1 बिस्वा में से 8 बीघा 1 बिस्वा भूमि सार्वजनिक रास्ता बाबत आरक्षित सेटअपार्ट करने का आदेश दिनांक 3–2–99 को पारित कर दिया। जिसके विरूद्ध अपीलांट्स ने प्रथम अपील राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर के न्यायालय में प्रस्तुत की, जो निर्णय दिनांक 22–9–2004 द्वारा खारिज कर दी गई। उनका तर्क है कि जिला कलक्टर नागौर ने राज्य सरकार की अनुमति लिए बिना ही आदेश दिनांक 3–2–99 पारित कर दिया, जो कि गैर कानूनी एवं क्षेत्राधिकार विहिन आदेश है एवं जिसको बहाल रखने में अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय ने गंभीर त्रुटि की है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने इस महत्त्वपूर्ण कानूनी तथ्य पर गौर नहीं किया कि उनके द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22–9–2004 में खसरा नं. 468 की 8 बीघा 1 बिस्वा भूमि को सार्वजनिक रास्ता के लिए सेटअपार्ट कलक्टर नागौर द्वारा दिनांक 3–2–99 के आदेश से किया गया, उसको वैधानिक मान लिया तो फिर सहायक कलक्टर नागौर का न्यायालय, उनका अधीनस्थ न्यायालय है तो अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को कैसे स्वीकार करेगा क्योंकि निर्णय दिनांक 22–9–2004 उन पर कानूनी बाध्यता रखेगा। उक्त महत्त्वपूर्ण कानूनी तथ्य को नहीं समझ कर प्रथमदृष्ट्या ही गैर कानूनी निर्णय दिनांक 22–9–2004 पारित किया है, जो निरस्त किए जाने योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22–9–2004 एवं 3–2–99 निरस्त किये जावें। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22–9–2004 एवं 3–2–99 को विधि सम्मत बताते हुए अपील सारहीन होने से खारिज करने का निवेदन किया।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। जिला कलक्टर नागौर ने आदेश दिनांक 3–2–99 द्वारा ग्राम पंचायत नागडी व ग्रामवासियों की मांग पर मौके की जाँच करवाकर उपखण्ड अधिकारी नागौर एवं तहसीलदार खींवसर की अभिशंषा के आधार पर जनहित में ग्राम नागडी के खसरा नंबर 468 में से 8–01 बीघा, 540 में से 4–16 बीघा एवं खसरा नंबर 522 में से 4–11 बीघा कुल 17–08 बीघा गै0मु0 मगरा भूमि विशेष सार्वजनिक प्रयोजन तथा सार्वजनिक रास्ता गट्ठा 9 से 4 के लिये आरक्षित करते हुए तहसीलदार खींवसर को राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये हैं। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई, जो निर्णय दिनांक 22–9–2004 द्वारा खारिज की गई। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय के पृष्ठ सं. 3 व 4 पर यह अंकित किया है कि– ''वर्तमान ख.नं. 468 जो 178 बीघा 15 बिस्वा गै.मु. मगरा दर्ज है जिसमें से रास्ते हेतु सेट अपार्ट भूमि की गई है के बाबत अपील पेश की है। यह आराजी सेट अपार्ट करने से पूर्व तहसीलदार पटवारी एवं उपखण्ड अधिकारी ने मौका जाँच कर प्रस्ताव पेश किया है। पंचायत ने भी अनापति दी है। मौका निरीक्षण के वक्त भी ग्रामवासी मौजूद थे। ऐसी स्थिति में जनहित से जुड़ा हुआ प्रकरण है। जहाँ तक सेटलमेन्ट में अपीलांट की आराजी कम होने का प्रश्न है राजस्व वाद सहायक कलेक्टर के न्यायालय में विचाराधीन है उसमें जैसा निर्णय होगा पक्षकार पाबंद होंगे। फिर भी मिलान क्षेत्र से अपीलांट ने ख.नं. 468 में गत ख.नं. जो उनकी खातेदारी बताते हैं ख.न. 280 का 2.5 बीघा, ख.नं. 278 का 7 बिस्वा ख.नं. 279 का 4 बिस्वा मिलना बताया है जो करीब 2.16 बीघा आराजी बनती है। तरमीम नक्शे का अवलोकन करे तो भी स्पष्ट है कि रास्ते के बाद भी ख.नं. 468 में से काफी आराजी बचती है। खातेदारी सहायक कलक्टर द्वारा घोषित की जाती है तो रास्ता की भूमि निकल जाने के बावजूद भी अपीलांट को किस तरह के नुकसान की संभावना नहीं रहती। अतः जिला	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	कलेक्टर के सरकारी भूमि में से मौके की जाँच के बाद नियमानुसार रास्ते के लिए जनहित में भूमि आरक्षित की है।'' हम अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित उक्त अभिमत से सहमत है। जिला कलक्टर द्वारा मौके की पूर्ण जांच करवा कर उपखण्ड अधिकारी नागौर एवं तहसीलदार खींवसर की जांच रिपोर्ट के आधार पर जनहित में रास्ते हेतु भूमि आरक्षित की है, जो न्यायसंगत है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने भी पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का पूर्ण परीक्षण करने के उपरांत तथ्यात्मक स्थिति को विस्तृत रूप से विवेचित करते हुए जिला कलक्टर नागौर द्वारा पारित आदेश से सहमति दर्शाते हुए समवर्ती निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत है। हम दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय से पूर्णतया सहमत हैं एवं इस अपील में कोई सार नहीं पाते हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट्स खारिज की जाती है तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22–9–2004 एवं 3–2–99 बहाल रखे जाते हैं। तहत का अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। **(सुरेन्द्र कुमार पुरोहित)** **सदस्य**	